2007:CGHC:6130

**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**एकल पीठ : माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति**

**रिट याचिका क्र. 1411 / 2005**

**जानकी कुजूर**

**बनाम**

**फिलमॅन एवं अन्य**

**आदेश**

10-01-2007 को आदेश हेतु सूचीबद्ध करें ।

-सही-

**वी. के. श्रीवास्तव**

**न्यायमूर्ति**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**एकल पीठ : माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति**

**रिट याचिका क्र. 1411 / 2005**

**याचिकाकर्ता** : जानकी कुजूर, विधवा स्व. नानसाय, जाति उराँव, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम चिकनीपानी, तहसील पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.).

**बनाम**

**उत्तरवादीगण** :

1. फिलमॅन, पिता लोयाराम, उम्र लगभग 49 वर्ष, जाति उराँव, निवासी ग्राम चिकनीपानी, तहसील पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.).

2. तुबियास, मिंज, पिता लोरांगो, जाति-उराँव.

3. दयाराम, पिता झगरूराम, जाति उराँव.

4. देवनीस, पिता मटियास, जाति उराँव.

5. लालसाय, पिता बुधवा, जाति उराँव.

6. मनोहरलाल, पिता गोमहा, जाति उराँव.

7. लोहारसाय, पिता बैताल, जाति नागवंशी.

क्र. 2 से 7 निवासी ग्राम चिकनीपानी, तहसील पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.).

8. पीठासीन अधिकारी, बूथ संख्या 171.

9. पीठासीन अधिकारी, बूथ संख्या 172.

10. पीठासीन अधिकारी, बूथ संख्या 173.

11. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर.

12. अनुविभागीय अधिकारी, तहसील पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.).

13.रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत निर्वाचन, पत्थल गांव.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**उपस्थित:-**

कु. शर्मिला सिंघई, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ।

श्री रवीश चंद्र अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री संजय एस. अग्रवाल के साथ, उत्तरवादी क्र. 1 की ओर से अधिवक्ता ।

श्री पराग कोटेचा, उत्तरवादीगण क्र. 3, 4, 6, 8, 9 और 10 की ओर से अधिवक्ता ।

श्री सुनील साहू, उत्तरवादीगण क्र. 2, 5 और 7 की ओर से अधिवक्ता ।

कु. दीपाली पांडे, राज्य/उत्तरवादीगण क्र. 11, 12 और 13 के लिए पैनल अधिवक्ता ।

**आदेश**

**(10 जनवरी, 2007 को पारित किया गया)**

**1.** विहित प्राधिकारी (पंचायत), पत्थलगाँव ने निर्वाचन अर्जी संख्या 3/ए-89/2004-05 पर विचार करते हुए, दिनांक 18-3-2005 के आक्षेपित आदेश द्वारा पुनर्मतगणना का निर्देश दिया और दिनांक 21-3-2005 के आक्षेपित आदेश द्वारा पुनर्मतगणना के पश्चात, याचिकाकर्ता/जानकी कुजूर के स्थान पर उत्तरवादी क्र. 1/ फिलमॅन को निर्वाचित घोषित किया। व्यथित होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**2.** ग्राम पंचायत चिकनीपानी के सरपंच पद के लिए चुनाव हुआ। याचिकाकर्ता और उत्तरवादीगण क्र. 1 से 7 ने अपने नामांकन दाखिल किए, जो सही पाए गए, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। मतदान के बाद मतगणना हुई। याचिकाकर्ता को 254 मत मिले जबकि उत्तरवादी क्र. 1 को 253 मत मिले, इसलिए एक मत के अंतर से याचिकाकर्ता को निर्वाचित घोषित किया गया और रिटर्निंग ऑफिसर ने 27-1-2005 को याचिकाकर्ता के पक्ष में इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया।

**3.** चुनाव परिणाम से असंतुष्ट होकर उत्तरवादी क्र. 1 ने म.प्र./छ.ग. पंचायत राज अधिनियम, 1993 (संक्षिप्त रूप में "अधिनियम, 1993") की धारा 122 के अंतर्गत विहित प्राधिकारी के समक्ष एक निर्वाचन अर्जी प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह दलील दी गई कि उत्तरवादी क्र. 1 के पक्ष में डाले गए छह वैध मतों को अवैध मतों की श्रेणी में रखा गया और सभी पीठासीन अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए उसके साथ मिलीभगत करके ऐसा किया और इस प्रकार मतगणना के बाद याचिकाकर्ता को विजयी उम्मीदवार घोषित कर दिया। उत्तरवादी क्र. 1 ने अस्वीकृत मतों को दिखाने का अनुरोध किया, लेकिन पीठासीन अधिकारियों ने इसकी अनुमति नहीं दी और यहाँ तक कि रिटर्निंग अधिकारी को दिया गया उसका आवेदन भी अवैध रूप से खारिज कर दिया गया। उसने मतों की पुनर्गणना और स्वयं को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित करने की राहत का दावा किया।

**4.** उत्तरवादीगण क्र. 2, 4, 5, 6 और 7 ने उत्तरवादी क्र. 1 के तर्क का समर्थन किया, जबकि उत्तरवादी क्र. 3 ने उत्तरवादी क्र. 1 द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया। उन्होंने दलील दी कि मतगणना नियमों के अनुसार की गई है। उत्तरवादी क्र. 1 या उनके एजेंटों या किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई और मतगणना पूरी होने के बाद परिणाम घोषित किया गया। उत्तरवादीगण क्र. 8, 9 और 10

पीठासीन अधिकारी हैं, उन्होंने भी सभी आरोपों का खंडन किया, उन्होंने आगे दलील दी कि किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, मतगणना के बाद, उम्मीदवारों या उनके एजेंटों को मतगणना पर्चियाँ दे दी गईं।

**5.** याचिकाकर्ता ने निर्वाचन अर्जी का विरोध किया और दलील दी कि उत्तरवादी क्र. 1 के द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं। मतगणना के दौरान उम्मीदवार और उनके एजेंट मौजूद थे, लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई और न ही कोई आवेदन दिया गया। यहाँ तक कि उत्तरवादी क्र. 1 ने अपनी याचिका के साथ ऐसा कोई दस्तावेज़ भी दाखिल नहीं किया है। म.प्र./छ.ग. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 (संक्षिप्त रूप में "नियम, 1995") के नियम 80 के अनुसार उनके आवेदन और अन्य विवरणों के अभाव में उनकी याचिका आरंभ से ही खारिज किए जाने योग्य है।

**6.** उत्तरवादी क्र. 1 द्वारा पुनर्मतगणना के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन से संबंधित कोई भी दस्तावेज याचिका के साथ संलग्न नहीं किया गया है, लेकिन बाद में उत्तरवादी क्र. 1 द्वारा इस आशय का एक मूल दस्तावेज पेश किया गया है। उस दस्तावेज की प्रति याचिकाकर्ता या अन्य उत्तरवादीगणों को उपलब्ध नहीं कराई गई। याचिकाकर्ता ने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन उसका आवेदन दिनांक 18-3-2005 के आदेश द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि वैध और अवैध मतों का निर्धारण करने के लिए किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है और मतपत्रों के अवलोकन के बाद यह निर्णय लिया जा सकता है कि कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं। इसके अलावा विहित प्राधिकारी ने मतों की पुनर्मतगणना का आदेश इस आधार पर दिया कि उत्तरवादी क्र. 1 केवल एक वोट के अंतर से अपना चुनाव हारा, जिसने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष एक आवेदन देकर पीठासीन अधिकारियों द्वारा की गई गड़बड़ी की शिकायत की और पीठासीन अधिकारी के नोट के साथ वह आवेदन भी प्रस्तुत किया है। दिनांक 21-3-2005 को पुनर्मतगणना की गई और याचिकाकर्ता के स्थान पर उत्तरवादी क्र. 1 को निर्वाचित घोषित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**7.** नियम, 1995 का नियम 80 नीचे पुन: प्रस्तुत है:

> " **80. मतों की पुनर्गणना: (1)** नियम 77 के उपनियम (2) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल मतों की घोषणा रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किए जाने के पश्चात्, अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसका गणना अभिकर्ता रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी को लिखित रूप में आवेदन कर सकेगा कि पहले से गिने गए सभी या किन्हीं मतों की पुनर्गणना की जाए, जिसमें वह उन आधारों का उल्लेख करेगा जिन पर वह ऐसी पुनर्गणना की मांग करता है।
>
> **(2)** ऐसा आवेदन किए जाने पर रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी मामले का निर्णय करेगा और आवेदन को पूर्णतः या भागतः स्वीकार कर सकेगा या यदि वह उसे तुच्छ या अनुचित प्रतीत हो तो उसे अस्वीकार कर सकेगा।
>
> **(3)** उपनियम (2) के अधीन रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी का प्रत्येक निर्णय लिखित में होगा और उसमें उसके कारण भी होंगे।

**(4)** यदि रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उपनियम (2) के अधीन किसी आवेदन को पूर्णतः या भागतः स्वीकार करने का विनिश्चय करता है, तो वह-

**(अ)** अपने निर्णय के अनुसार मतपत्रों की पुनः गणना करना;

**(ब)** ऐसी पुनर्गणना के बाद परिणाम पत्रक को आवश्यक सीमा तक संशोधित करना; और

**(स)** अपने द्वारा किए गए संशोधन की घोषणा करें।

**(5)** नियम 77 के उपनियम (2) या उपनियम (4) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा डाले गए कुल मतों की घोषणा के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी परिणाम पत्रक को पूरा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा उसके पश्चात् पुनर्गणना के लिए किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा:

परन्तु इस उपनियम के अधीन कोई भी कदम मतगणना पूरी होने पर तब तक नहीं उठाया जाएगा जब तक कि मतगणना पूरी होने पर उपस्थित अभ्यर्थियों और निर्वाचन अभिकर्ताओं को उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करने का उचित अवसर न दे दिया जाए।

**(6)** गिने गए मतपत्रों को नियम 77 के उपनियम (3) में उल्लिखित तरीके से बंडल करके रखा जाएगा।

**(7)** रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए क्रमशः पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए प्ररूप 16, 17, 18 और 19 में परिणाम पत्रक, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों के संकलन और सारणीकरण के लिए रिटर्निंग अधिकारी को अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत किए जाएंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(8)** रिटर्निंग अधिकारी उपनियम (7) के अधीन परिणाम पत्रक प्राप्त होने पर, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल मतों की संख्या को प्ररूप 17, 18 और 19 के क्रमशः अनुवर्ती भाग या भागों में प्रविष्ट कराएगा और परिणाम पत्रक को पूरा करके उस पर हस्ताक्षर करेगा।"

**8.** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सोहन लाल बनाम बाबू गांधी एवं अन्य**[1]**,** के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है:

"परिणामों की घोषणा के बाद, रिटर्निंग ऑफिसर के पास पुनर्गणना का निर्देश देने या चुनाव के परिणामों को बदलने का कोई अधिकार नहीं होता। परिणाम घोषित होने के बाद, पीड़ित पक्ष के लिए एकमात्र उपाय धारा 122 के तहत निर्वाचन अर्जी प्रस्तुत करना है। ऐसे मामले में, न्यायालय या न्यायाधिकरण याचिका पर विचार करने के लिए बाध्य है और जहाँ कोई मामला बनता है, वह पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर पुनर्गणना का निर्देश दे सकता है। यह

[1] **(2003) 1 SCC 108**

मानना सही नहीं है कि किसी निर्वाचन अर्जी में, परिणाम घोषित होने के बाद, न्यायालय या न्यायाधिकरण तब तक पुनर्गणना का निर्देश नहीं दे सकता जब तक कि पक्ष ने पहले से लिखित रूप में पुनर्गणना के लिए आवेदन न किया हो। अधिनियम या नियमों के तहत न्यायालय या न्यायाधिकरण को मतों की पुनर्गणना का निर्देश देने से रोकने का कोई निषेध नहीं है। अन्यथा भी, किसी पक्ष को परिणाम घोषित होने तक पुनर्गणना की आवश्यकता का पता नहीं चल सकता है। इस स्तर पर, उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर से पुनर्गणना के लिए आवेदन करना संभव नहीं होगा।"

**9.** कानून और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि से यह स्पष्ट है कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को उचित चरण में मतगणना के दौरान, लेकिन परिणाम घोषित होने से पहले, वैध आधार पर पुनर्गणना की मांग करने का अधिकार है और उसके बाद उसे निर्वाचन अर्जी प्रस्तुत करके पुनर्गणना का दावा करने का अधिकार है। अतः, निर्वाचन अर्जी के लंबित रहने के दौरान वैध आधार पर पुनर्गणना का दावा किया जा सकता है, भले ही उम्मीदवार ने नियम, 1995 की धारा 80 के अनुसार मतगणना के दौरान पुनर्गणना की मांग न की हो।

**10.** यहां इस मामले में, हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर को संबोधित एक आवेदन उत्तरवादी क्र. 1 के द्वारा पेश किया गया है, लेकिन उस आवेदन में उन्होंने इसे बनाने की तारीख का उल्लेख नहीं किया है, यहां तक कि किसी ने भी, जिसने लाल स्याही से अपना नोट लगाया है, उसने आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख या अपने आद्याक्षर के नीचे की तारीख का उल्लेख नहीं किया है। यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि यदि यह आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर को किया गया था तो इसे चुनाव कार्यवाही की फाइल में होना चाहिए था, यह आवेदन, अगर किसी चुनाव अधिकारी द्वारा समर्थन किया गया है, तो उत्तरवादी क्र. 1 की अभिरक्षा में कैसे आया, इसकी व्याख्या नहीं की गई है। इसे पढ़ने से ही स्पष्ट है कि यह आवेदन परिणाम की घोषणा के बाद किया गया था और रिटर्निंग ऑफिसर या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी परिणाम की घोषणा के बाद मतों की पुनर्गणना के लिए निर्देश देने के लिए सशक्त नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**11.** उत्तरवादी क्र. 1 के विद्वान वकील ने बलपूर्वक तर्क दिया कि एक बार पुनर्गणना का आदेश दिए जाने और गिनती पूरी हो जाने के बाद, न्यायालय इसके परिणाम को प्रभावी करने से इनकार नहीं कर सकता है और अपने तर्क का समर्थन करने के लिए, उन्होंने **टी.ए. अहमद कबीर बनाम ए.ए. अज़ीज़ और अन्य**[2]**,** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा रखा। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यदि पुनर्गणना के लिए निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश निर्धारित और स्थापित मानदंड के उल्लंघन में है, तो इस तरह के पुनर्गणना पर इसके परिणाम को प्रभावी नहीं किया जा सकता है और उन्होंने **वडिवेलु बनाम सुंदरम और अन्य**[3], के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा। उपरोक्त दोनों मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:

---

[2] **(2003) 5 SCC 650**
[3] **(2000) 8 SCC 355**

**"<u>टी.ए. अहमद कबीर (पूर्वोक्त[2])</u>:** यह सच है कि पुनर्गणना का आदेश केवल इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि न्यायालय पुनर्गणना कराने के लिए इच्छुक है। मतपत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, न्यायालय पुनर्गणना की अनुमति तभी देगा जब उस संबंध में स्पष्ट मामला सामने आए। पुनर्गणना की अनुमति देना या न देना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है। एक बार पुनर्गणना की अनुमति दे दी जाए, तो न्यायालय इस आधार पर पुनर्गणना के परिणाम से आँखें नहीं मूंद सकता कि पुनर्गणना का परिणाम , जैसा कि पाया गया है, दलीलों से भिन्न है। एक बार न्यायालय ने इस संबंध में अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के सुस्थापित मानदंडों के भीतर पुनर्गणना की अनुमति दे दी है, तो पुनर्गणना के परिणाम को ही लागू किया जाना चाहिए।**"**

**"<u>वडिवेलु (पूर्वोक्त[3])</u>:** सर्वोच्च न्यायालय का लगातार यह मत रहा है कि मतों की पुनर्गणना का आदेश बहुत कम ही दिया जा सकता है और निर्वाचन अर्जी में दिए गए विशिष्ट आरोपों पर कि मतगणना में अवैधता या अनियमितता हुई है। पुनर्गणना चाहने वाले याचिकाकर्ता को यह आरोप लगाना और साबित करना होगा कि अवैध मतों को अनुचित रूप से स्वीकार किया गया था या वैध मतों को अनुचित रूप से अस्वीकार किया गया था। यदि न्यायालय आरोप की सत्यता से संतुष्ट हो जाता है, तो वह मतों की पुनर्गणना का आदेश दे सकता है। चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतपत्र की गोपनीयता को हमेशा से ही पवित्र माना गया है और मतगणना में अवैधता या अनियमितता के मात्र आरोपों से इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन यदि यह सिद्ध हो जाता है कि चुनाव की पवित्रता धूमिल हुई है और इसने चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया है जिससे पराजित उम्मीदवार गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित है, तो न्यायालय ऐसी परिस्थितियों में पक्षों के बीच न्याय करने के लिए मतों की पुनर्गणना का सहारा ले सकता है।**"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**12.** छत्तीसगढ़ पंचायत (निर्वाचन अर्जियां, भ्रष्टाचार और सदस्यता के लिए निरर्हता) नियम, 1995 के नियम 5 में अर्जी की विषय-वस्तु निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है:

"**<u>5. अर्जी की विषय-वस्तु.</u>** – निर्वाचन अर्जी में-

**(अ)** इसमें उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का संक्षिप्त विवरण शामिल होना चाहिए जिन पर याचिकाकर्ता निर्भर करता है;

**(ब)** पर्याप्त विवरण के साथ उन आधारों को बताएं जिनके आधार पर चुनाव को प्रश्नगत किया गया है;

**(स)** याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (V सन् 1908) में निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा।"

**13.** उपरोक्त कानून और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामलों में प्रतिपादित विधि से यह माना जाता है कि निर्वाचन अर्जियों में जब पुनर्गणना का दावा किया जाता है, तो केवल अस्पष्ट आरोपों के आधार पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, बल्कि पुनर्गणना का दावा करने वाले पक्ष का यह कठोर

कर्तव्य है कि वह पूर्ण विवरण प्रस्तुत करे और अपने आरोपों को सिद्ध करे। पुनर्गणना का आदेश विशिष्ट दलील और उसके प्रमाण पर, और जब पुनर्गणना के लिए स्पष्ट मामला प्रथम दृष्टया स्थापित हो, तो पुनर्गणना के लिए निर्धारित मानदंडों के भीतर पारित किया जा सकता है।

**14.** इस मामले में, यह आरोप लगाया गया था कि पीठासीन अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के साथ मिलीभगत करके उत्तरवादी क्र. 1 के पक्ष में डाले गए छह मतों को खारिज कर दिया, जिससे उसके पक्ष में छह वैध मतों की गणना नहीं की गई और याचिकाकर्ता और सह-प्रतियोगी, यानी उत्तरवादी क्र. 3 और पीठासीन अधिकारियों द्वारा भी इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया। उत्तरवादी क्र. 1 के द्वारा छह मतपत्रों के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया गया है, इसलिए, जहाँ तक विवरण का संबंध है, पर्याप्त विवरण गायब हैं। जहां तक परीक्षण का संबंध है, आरोप की सत्यता निर्धारित करने के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार उस पर विचार किया जाना अपेक्षित था, लेकिन विवाद पर विचार किए बिना और दलील की प्रकृति पर विचार किए बिना, जब याचिकाकर्ता ने एक आवेदन प्रस्तुत करके साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रार्थना की, तो उसे अस्वीकार कर दिया गया और इस प्रकार याचिकाकर्ता को अवसर प्रदान करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया, और आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य न होने पर विहित प्राधिकारी ने सुस्थापित मापदंडों की अनदेखी करते हुए, मतों की पुनर्गणना का निर्देश देकर अपने अधिकार क्षेत्र का अवैध रूप से प्रयोग किया है, इसलिए, न केवल मतों की पुनर्गणना का निर्देश देने वाला दिनांक 18-3-2005 का आक्षेपित आदेश अवैध है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप दिनांक 21-3-2005 का एक अन्य आक्षेपित आदेश भी अवैध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**15.** परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है। विहित प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 18-3-2005 और 21-3-2005 के दोनों आदेश निरस्त किए जाते हैं और तदनुसार, उत्तरवादी क्र. 1 द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन अर्जी अस्वीकार की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है ।

-सही-
**वी. के. श्रीवास्तव**
**न्यायमूर्ति**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated By: Shubham Dwivedi, Advocate.**